ISSN 2320-768X, Impact Factor : 1.113
Vol. IX, Issue I (April – 2021)

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण की राजनिति

निधि चौधरी
शोधार्थिनी,
राजनीति विज्ञान विभाग एस0 डी0 (पी0 जी0) कॉलेज गाजियाबाद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

डा0 जय कुमार सरोहा
एसोसिएट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग एस0 डी0 (पी0 जी0) कॉलेज गाजियाबाद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

सारांश

इस शोध पत्र को लिखने का मेरा उद्देश्य भूमि अधिग्रहण के बारे में सरकार की नितियो और कानूनों का वर्णन करते हुए किसानों की स्थिति का वर्णन करना भी प्रमुख रहा है। साथ ही किस प्रकार भूमि अधिग्रहण में राजनीतिक दलों या सरकार द्वारा राजनीति की गई है का भी उल्लेख किया है। यह शोध पत्र तीन भागों में विभजित है– प्रथम में भूमिका द्वितीय में भूमि अधिग्रहण में राजनीतिक दलों की भूमिका तृतीय में निष्कर्ष दिया गया है। इस शोध पत्र में भूमि अधिग्रहण के बाद किसानों को रोजगार, रहन–सहन, समाजिक व आर्थिक स्थिति में किस तरह की कठिनाईयों का सामना कराना पड़ता है, का भी वर्णन व विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्दः भूमि अधिग्रहण, राजनीतिक दल, राजनीति, प्रशासन, कठिनाईयां, किसान, मुआवजा

भूमिका

भारत वर्ष में भूमि को माता का दर्जा दिया जाता है। भूमि जीविकोपार्जन के लिए एक प्रमुख संसाधन है। किसी भी देश में विकास के लिए भूमि की सर्वप्रथम आवश्यकता पड़ती है। सरकार द्वारा विकास के लिए किसान से ली गई निजी भूमि को भूमि अधिग्रहण शब्द से परिभाषित किया जाता है अर्थात् भूमि अधिग्रहण एक ऐसी प्रकिया है जिसके द्वारा सरकार विकास, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आदि के उद्देश्य से किसान की भूमिका अधिग्रहण करती है, और उसके बदलें में किसान को या भूमि के मालिक को सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजा देती है।

भूमि अधिग्रहण की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक दूसरा चरण है। कई उद्यमी समूह अपने व्यक्तिगत लाभों को पूरा करनें के लिए

ISSN 2320-768X, Impact Factor : 1.113
Vol. IX, Issue I (April – 2021)

राजनीति या राजनीतिक दलों से जुड़े हुए होते है। राज्यों की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक निवेशकों पर निर्भर करती है। उद्यमी, सरकार और अन्य पार्टी की नीतियों को प्रभावित करकें राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

1990 में उदारीकरण नीति नें पूरें भारत में उद्योगपतियों के लिए नए अवसर खोले है। दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या के कारण इन क्षेत्रो के विस्तार के लिए, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में आबादी की मागों को पूरा करनें के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। (उदा0 दिल्ली एन0सी0आर0 का क्षेत्र)। जनसंख्या वृद्धि के कारण कुछ अन्य सुविधाएं जैसे– स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, अस्पताल और उद्योगो के लिए भी भूमि की आवश्यकता होती है। इन सब मुद्दों के कारण लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से राजनीति शुरू होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उपजाऊ भूमि की अधिकाशंतः है। सरकार इस भूमि को बुनियादी ढ़ाचे और विकास परियोजनाओ के लिए अधिग्रहित करती है, लेकिन इसे कई गुना किमत पर निजी कंपनियों कों बेचती है और कंपनिया भी अपने लाभ के लिए आगे भी ऐसा ही करती है। यह पूरा नाटक उन किसानों के साथ होता है जिन्होंने अपनी जमीन खों दी है। यहा राजनीति तब शुरू हो जाती है जब ये किसान सरकार से अपने पुर्नवास के लिए बेहतर मुआवजा और अन्य सुविधाएं प्राप्त करनें के लिए आंदोलन करते है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेंश में तब शुरू हुआ था जब यमुना एक्सप्रेसवे और रिलायंस पावर परियोजना जैसी परियोजनाए शुरू की गई थी। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गयी।

राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक निवेशकों पर निर्भर करती है। ये औद्योगिक विकास के साथ–साथ राज्य के ढ़ाचागत विकास के लिए राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। सरकार के साथ–साथ अन्य राजनीतिक दल इन उद्यमी समूहो या कंपनियो की योजनाओं के लिए तैयार रहते है वास्तव में पब्लिक प्राइवेट पार्टर्नशिप योजना (पी.पी. पी.) के तहत उदारीकरण और विकासात्मक नीतियों के ढ़ाचें में शासन की भूमि अधिग्रहण नीतियां प्रभावित हुई है। इस योजना ने राज्य मे निजी कम्पनियों को अनुकूल वातावरण प्रदान किया है। इन कम्पनियों ने आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों के साथ साठं –गाठं स्थापित की है।

भूमि अधिग्रहण और राजनीतिक दल

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि का अधिग्रहण और इसका राजनीतिकरण कोई नई घटना नही थी जैसा की पहले उल्लेख किया गया है वास्तव में पिछले दशक में भूमि अधिग्रहण को लेकर कई तरह से राजनीति हुई है। उदार नीति वाले राज्यों के कार्यान्वयन के बाद भूमि उपयोग के तरीको का रूपान्तरण शुरू हुआ तथा राजनीतिक दलों ने इस स्थिति से लाभ उठानें की कोशिश की। फिर राजनीति का एक चरण शुरू हुआ जो भूमि मुद्दो के इर्द–गिर्द घूमता रहा, सरकार और निजी कम्पनियों को अलग–अलग परियोजनाओं के लिए जमीन की आवश्यकता होती है फिर सरकारों ने संबंधित राज्यों मे बड़े उद्योगो की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण करना शुरू किया कुछ छोटी परियोजनाए थी जिन्होंने विवाद पैदा किया जिससे सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच यह संघर्ष का कारण बन गया। पश्चिमी बंगाल में स्थापित सिगुंर

ISSN 2320-768X, Impact Factor : 1.113
Vol. IX, Issue I (April – 2021)

परियोजना को रद्द कर दिया गया लेकिन विपक्ष द्वारा आन्दोलन के कारण कम्पनी कों मजबूरन किसी अन्य राज्य में इस परियोजना को स्थानांतरित करना पड़ा। अब गुजरात इस परियोजना का नया स्थान है क्योकि गुजरात सरकार नें उद्योगों की स्थापना के समर्थन के लिए उदार नीति को लागू किया था। इस प्रकार राज्यनीति विभिन्न परियोजनाओ की स्थापना और विकास को काफी हद तक प्रभावित करती है।

अब कुछ बात उत्तर प्रदेश की करे तो जब उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवें परियोजना शुरू हुई थी तब उसे विपक्ष द्वारा आंदोलन का सामना करना पड़ा था जो किसानों के लाभ का समर्थन कर रहा था। वही दूसरा मामला जैतापुर में पॉस्को का है जिसे सरकार के साथ–साथ अन्य दलों के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया था और इसको रद्द करवाने का कारण यह बताया था कि यह परियोजना पर्यावरण के लिए खतरा थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति व्यवस्था के इर्द–गिर्द घूमती है। किसान अपनी जमीन पर खेती भी करते है।

भूमि हमेशा समाज के सभी वर्गो के लिए महत्वपूर्ण रही है। भूमि अधिग्रहण पर राजनीति मायावती जी के द्वारा डिजाईन की गई योजना से शुरू हुई है जो योजना ग्रेटर नोएडा से शुरू हुई थी। इस योजना के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ी जिसके चलते भूमि के उपयोग और दुरूपयोग की प्रक्रिया शुरू हो गयी। इसके तहत सरकार नें 1894 के अधिनियम के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण का कार्य शुरू किया। सरकार द्वारा बनाई गई भूमि अधिग्रहण की नीतियो के बारें में किसान वर्ग को जानकारी नही थी इसलिए किसानों को अपनी जमीन सरकार को देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक शासन ने पब्लिक प्राइवेट पार्टर्नशिप (पी.पी.पी.) योजना के तहत उदारीकरण और विकास नीति के प्रभाव में भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया इससे राज्य में निजी कम्पनियों को एक माहौल मिला। भारत मे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की शुरूआत के बाद 1990 के बाद उदारीकरण नीति अपनाई।

इस बार भारत की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित थी। सन् 2000 में भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ने भारतीय कम्पनियों के लिए उचित विकास के लिए माहौल प्रदान किया। अधिनियम 2005 ने निवेशकों को अधिक अवसर और स्थिरता प्रदान की है। जब नए बुनियादी ढ़ाचे में बदलाव या विकास परियोजना प्रस्तावित की गई थी तो भूमि की आवश्यकता पड़ी थी। यह भूमि किसानों से अधिग्रहित की जानी थी परियोजनाओ को उद्यमी समूह द्वारा निष्पादित किया जाना था। सरकार को परियोजना को सुविधाजनक बनाना था इसलिए इस स्थिति के लिए एक उपयुक्त नीति की आवश्यकता थी। लेकिन वर्तमान स्थिति के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 उपयुक्त नही था इसलिए सरकार को एक नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाने की दिशा में आगें बढ़ना था। ताकि उसे विकास परियोजना के निष्पादन के लिए नई उदार आर्थिक नीतियों का समर्थन मिल सके और भूमि के सभी हित धारकों की समस्या का समाधान हो सकें। अब कांग्रेस सरकार के प्रयास से भूमि अधिग्रहण में उचित

ISSN 2320-768X, Impact Factor : 1.113
Vol. IX, Issue I (April – 2021)

मुआवजा एवम पारर्दशिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 आया। यह बिल विकास परियोजना का समर्थन करने के लिए था, इसलिए इसे राज्य सभा में अधिक विरोध या प्रतिरोध का सामना नही करना पड़ा था। थोड़े प्रतिरोध के बाद लोकसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया। इस तरह 2013 में एक नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम अस्तित्व में आया और जिससे किसानों, निजी कम्पनी व सरकार को बड़ी राहत मिली।

मायावती जी नें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए आकर्षक ग्रेंटर नोएडा औद्योगिक मॉडल की शुरूआत की और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में तेजी से औद्योगिक विकास करनें के लिए भारतीय निवेशकों को इस क्षेत्र में परिवहन और संचार सुविधाओं के कारण इस उद्देश्य के लिए यह क्षेत्र लक्षित किया गया, जब यहां 2007 मे भूमि अधिग्रहण शुरू हुआ था, तो कई गांवो को सार्वजनिक प्रयोजन और औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि अधिग्रहित के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन जब किसानों से यह भूमि अधिग्रहित कर ली गई तो इसका उपयोग गैर औद्योगिक परियोजना में किया गया था। इस जमीन को आवासीय परिसर विकसित करने के लिए बिल्डरों को बेच दिया गया था। कई आवासीय राज्यों ने वहां अपने आवासीय निवास विकसित किये। इस तरह इस योजना के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा लोगो के लिए आदर्श स्थान बनता जा रहा था क्योकि ये क्षेत्र दिल्ली से सिर्फ एक या दो घंटे की दूरी पर थे। अब क्योकि इस जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए खरीदा गया था। तो किसानों ने आरोप लगाया कि तात्कालिक खण्ड चार और पांच के तहत भूमि का जो अधिग्रहण किया गया था उसमें किसानों की सहमति नही थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मायावती सरकार को जमीन के जबरदस्त अधिग्रहण पर चेतावनी दी और आलोचना की साथ ही कहा कि इससे जनता में प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता भी खराब हुई है।

मुलायम सिंह यादव जी नें भी दादरी मे रिलायन्स पावर प्रोजैक्ट स्थापित करनें के लिए अनिल अम्बानी का समर्थन किया, अनिल अम्बानी ने ताप बिजली परियोजना में निवेश किया, जो दादरी में 165 किलोमीटर लम्बा प्लान्ट था। मुलायम जी ने बिना किसी असुविधा के इस परियोजना को स्थापित करने में मद्द की। इस परियोजना के लिए भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया गया जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के किसानों के बीच विस्थापन और बेरोजगारी हुई। यह परियोजना 2004 में मुलायम सिंह यादव जी के सत्ता में रहने के दौरान शुरू हुई और यह परियोजना भी पब्लिक प्राइवेट पार्टर्नशिप (पी. पी.पी.) के तहत ही आयी थी। इसी तरह मायावती सरकार ने 2008 में जयप्रकाश गौड का समर्थन किया, जिन्होने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे मे निवेश किया था। इस परियोजना ने पब्लिक प्राइवेट पार्टर्नशिप (पी.पी.पी.) के तहत किसानों की बड़ी उपजाऊ भूमि को हड़प लिया था। इसमें सबसे बुरी बात यह थी कि सरकार ने यह जमीन लेने के बाद इसे निजी निवेशकों को ऊची दरो पर बेच दिया था। इस प्रकार कह सकतें है कि सभी सरकारो के शासन काल के दौरान जब किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। तो उसमें राजनीति होती ही है।

किसानों पर भूमि अधिग्रहण का प्रभाव

- बेरोजगारी मे बढ़ोत्तरी

ISSN 2320-768X, Impact Factor : 1.113
Vol. IX, Issue I (April – 2021)

- पुनर्वासन की समस्या
- भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानूनों के बारे मे जागरूकता
- जीविकोपार्जन के लिए भूमि के महत्व का ज्ञान

निष्कर्ष

हालाकि भूमि अधिग्रहण बहुत सामान्य शब्द दिखाई दे रहा है लेकिन भूमि अधिग्रहण शब्द अन्दर तक झकझोर देने वाला शब्द है। भूमि अधिग्रहण में राजनेता भले ही राजनीति करते है परन्तु इससे किसान काफी प्रभावित होता है। भूमि अधिग्रहण से किसान को एक समय पर अधिक मूल्य अवश्य मिल जाता है परन्तु उससे उसकी आजीविता छिन जाती है जबकि दूसरी ओर यह भी जरूरी हो जाता है कि यदि सरकार को सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास करना है तो विकास कार्यक्रमो के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक भी है इसलिए सरकार को इस तरह की जमीन चिंहित/अधिग्रहित करनी चाहिए, जो कृषि की दृष्टि से ज्यादा उपजाऊ ना हो राजनेताओ को यह चाहिए कि वह राजनीति से दूर होकर किसी उद्यमी, कम्पनी या व्यक्ति विशेष को लाभ पहुचाने के बजाय समाजिक कल्याण को दृष्टिगोचर रखते हुए व्यक्तिगत कल्याण को भी जरूर ध्यान मे रखे। अन्त मे मै यही कहना चाहूंगी कि भूमि अधिग्रहण समाज के लिए बहुत आवश्यक है परन्तु एक किसान के लिए जमीन उसकी माँ के समान होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. लैंड एक्वीजीशन इन इण्डिया : इज दी फार्मर रॉनग क्रिएटश पर इंडिपेंडेट, पब्लिकेशन, 31 दिसम्बर 2015.
2. सी. शिवा षंकर रेड्डी, पॉलिटिकल ऑफ लैंड रिफॉर्मस इन इण्डिया (1997) राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली।
3. सेज. 2005. दि स्पेशल इकॉनामिक जोन एक्ट 2005, नई दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया।
4. उत्तर प्रदेश जमीनदारीं निवारक एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950
5. जेठ धेमेन्जरी, पॉजिटिकल इकॉनामी ऑफ लैंड एक्वीजीशन (हाउ ए विपेज स्टॉफ विइंग वन), पालग्रेव मेकमिलन